

न्याय
दिनांक

आयालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) कोटकासिम (अ)

क्रमांक हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल पी. ओ.

11/9/17

आज फावली मह राष्ट्रीय लोक अदालत 2017 के फैसले हुई। रिपोर्ट हलवा परिवार फैसले हुई। रिपोर्ट परिवार के अनुसार कि गुवराण के इनामका रकम 606 पिनकोड 8-6-16 स्वीकृत होकर मिली है हुकम है अतः अब इस फावली का आगे चलने का कोई आशय नहीं रहा है। फावली पर सफा सुभार जा जाती है। फावा नम्बर से एक होकर बाय नवमीन कारिकल देपार जा आवे। निर्णय राष्ट्रीय लोक अदालत - 2017 निर्णय जेम्स कोर्ट लिखवाता गया। 507

कोटकासिम

रजनीश रतन एडवोकेट

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम जिला अलवर

राजस्व वादपत्र सं०
285/2012

पीठासीन अधिकारी: बलवन्तसिंह लिग्री आर.ए.एस

दायरा दिनांक

05.11.2012

निर्णय दिनांक

26.05.2016

अनुवान

1. सूरजभान पुत्र पिरानसुख
2. सुबेसिंह पुत्र पिरानसुख जाति अहीरान निवासी ग्राम रडवा तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान

:- वादीगण

बनाम:-

1. ताराचन्द पुत्र बीलाराम
2. जीवनदास पुत्र बीलाराम
3. टेकचन्द पुत्र मूलचन्द
4. टहलीबाई पुत्री मूलचन्द जाति खत्री निवासी ग्राम मिर्जापुर
5. नन्दलाल पुत्र टालाराम जाति अरोडा
6. मंगतूराम पुत्र टालाराम जाति अरोडा गांव मिर्जापुर तहसील कोटकासिम जिला अलवर राजस्थान
7. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी (लैण्ड होल्डर) तहसीलदार कोटकासिम तहसील कोटकासिम जिला अलवर राजस्थान
8. उपपंजीयक कोटकासिम तहसील कोटकासिम (अलवर)

:- प्रतिवादीगण

दावा इश्तकरारहक मय दुरुस्ती इन्द्राज
वो हुक्मईम्तनाईदवामी अंतर्गत धारा
88, 89, 53, 188 राज० टी० ऐ० 1955

उपस्थित:

1. श्री महेन्द्रसिंह यादव अधिवक्ता, वादीगण

निर्णय

वादीगण द्वारा एक वाद इश्तकरारहक मय दुरुस्ती इन्द्राज व हुक्मईम्तनाई दवामी अंतर्गत धारा 88, 89, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 इस न्यायालय में पेश किया। वाद में वादीगण की ओर से तथ्य इस प्रकार वर्णन किये कि विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 52 रकबा 6 बीघा

अधिवक्ता प्रति

अधिवक्ता

अधिवक्ता

बिस्वा वाके ग्राम मिर्जापुर तहसील कोटकासिम जिला अलवर में टेकचन्द पुत्र मूलचन्द, टहलबाई पुत्री मूलचन्द, चान्दबाई पत्नी मूलचन्द 79/136 भाग के गैरखातेदार दर्ज राजस्व रिकार्ड रहे। जिसमें चांदबाई पत्नी मूलचन्द फौत हो गई थी तथा टहलबाई व टेकचन्द 1/2, 1/2 भाग के मालिक रहे। टहलबाई ने भी अपना हिस्सा 1/2 भाग अपने भाई टेकचन्द को ही दे दिया था। इस तरह टेकचन्द पुत्र मूलचन्द खसरा नम्बर 52 रकबा 6 बीघा 16 बिस्वा में 79/136 भाग पर काबिज काशत रहा। टेकचन्द पुत्र मूलचन्द ने लीलाराम पुत्र जीवनदास कोम खत्री ग्राम मिर्जापुर को मुख्यारआम उक्त आराजी बाबत नियुक्त किया। जो मुख्यारनामा आम दिनांक 12.09.1980 को लिखा गया व दिनांक 15.09.1980 को उपपंजीयक किशनगढ द्वारा तस्दीक व पंजीबद्ध किया गया। जिस पर लीलाराम पुत्र जीवनदास द्वारा वादीगण के हक में दिनांक 17.09.1980 को जरिये बयनामा बेचान विवादित आराजी का किया गया था। वक्त खरीद से ही मिन वादीगण आराजी हाल खसरा नम्बर 52/6.16 बीघा में से 79/136 भाग पर बतौर खातेदार काशतकार काबिज चले आ रहे है। मौके पर शांति पूर्वक मिल वादीगण का वास्तविक का कब्जा काशत है। मिन वादीगण वास्ते किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिये पटवारी हल्का के पास दिनांक 1.11.2012 को नकल जमाबंदी लेने के लिये गये। तब इस बात की जानकारी हुई कि जमाबंदी में खसरा नम्बर 52 में मिन वादीगण का नाम नहीं है। जिस पर नकुलात हासिल की। जिसमें नंदलाल पुत्र टालाराम व मंगतूराम पुत्र टालाराम जाति अरोडा ग्राम मिर्जापुर जो कि इस वाद में प्रतिवादी सं० 5 व 6 है उन्हें खिलाफ मौका व खिलाफ कानून खातेदारी 18/136 भाग व 51/136 भाग पर जो दी है वो नितान्त गलत है जिससे कि मिन वादीगण प्रीज्यूडिस है वो वादीगण के खातेदारी अधिकारों पर कुठाराघात हुआ है। जिस अंकन को हजफ कर मिन वादीगण अपने नाम मुताबिक बयनामा दिनांक 17.09.1980 के खातेदारी अधिकार हासिल करने के अधिकारी है। इसलिये मिन वादीगण को यह दावा इश्तकरारहक मय दुरुस्ती इन्द्राज मय तकासमा व हुक्मइस्तनाई दवामी पेश करना लाजिम आया है। प्रतिवादी सं० 5 व 6 नंदलाल व मंगतूराम ग्राम मिर्जापुर में कभी भी आबाद नहीं रहे और ना ही खसरा नम्बर 52 रकबा 6 बीघा 16 बिस्वा से इनका कब्जा काशत वो किसी भी प्रकार का सम्बंध व सरोकार कभी ना तो रहा और ना आज है वो गैरवास्ता गैरकाबिज विवादित आराजी है। इनके नाम खातेदारी नामान्तकरण सं 456 व 459 दिनांक 25.07.2011 जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज व स्वीकार हुये है वो खिलाफ मौका व खिलाफ कानून है। राजस्व कर्मचारीयों व अधिकारीगण ने कोई मौका नहीं देखा और खिलाफ मौका, खिलाफ कब्जा, खिलाफ कानून प्रतिवादी सं० 5 व 6 से मिल्लत व साज बाज होकर ये समस्त कार्यवाही की है जो कि नितान्त गलत है जिसे हजफ किया जाना कानूनन आवश्यक है व वादीगण को हाल खसरा नम्बर 52 रकबा 6 बीघा 16 बिस्वा में से 79/136 भाग का संभाग में खातेदार काशतकार घोषित किया

प्रतिवादी सं० 5 व 6

नंदलाल पुत्र टालाराम

कानूनन आवश्यक है। मौके पर मिन वादीगण का रकबा 4 बीघा का एक खेत पुख्ता कायम है। पुख्ता डोल है जिस पर काबिज काशत है। अंदेशा है कि प्रतिवादी सं० 1 व 2 किसी तरह या इनके आदमियों के द्वारा किसी तरह के वादीगण के कब्जा काशत में व्यवधान व बाघा पैदा ना करे व अपने खेत पर वादीगण कृषि संसाधन ट्यूबवैल व सिंचाई संयंत्र लगाकर अधिक पैदावार ले सके इसलिये तकासमा मुताबिक कब्जा कराना आवश्यक है। दिनांक 1.11.2012 को प्रतिवादी सं० 5 व 6 ने मिन वादीगणों को ऐलानिया तौर पर धमकियां दी कि हम विवादित आराजी पर अपना बिना कब्जा के ही दीगर लोगों को बेचान करेंगे और तुम्हें काशत नहीं करने देंगे। यदि प्रतिवादीगण अपने इस नापाक इरादों में कामयाब हो गये तो मिन वादीगण को अपने अधिकारों की आराजी से वंचित होना पड़ेगा। दीगर मुकदमेंबाजी में फंसना पड़ेगा। अपूरणीय क्षति होगी जिसके पूर्ति किसी भी सूरत में रुपयों में नहीं आंकी जा सकेगी। इसलिये मिन वादीगण प्रतिवादीगण को जरिये हुक्मइस्तनाइदवामी से पाबन्द करवाने के अधिकारी है। मिन वादीगण के दावा हाजा में हक व हकूक कानूनन रक्षित है। इसलिये मिन वादीगण को अपने हकूकों की रक्षार्थ यह वादपत्र पेश करना लाजिम आया है। वादपत्र हेतु बिनायदवामी व बिनायमुखासमत दिनांक 1.11.2012 को पैदा हुई है। जिससे वादपत्र अन्दर अवधि पेश है। प्रतिवादी सं० 7 तकासमा के वादी में आवश्यक पक्षकार होने के नाते व भूमिधारी अधिकारी होने के नाते व प्रतिवादी सं० 8 भी आवश्यक पक्षकार मुकदमा होने के कारण उन्हें पक्षकार मुकदमा बनाया गया है। प्रतिवादी सं 5 व 6 गलत इन्द्राज के कारण विवादित आराजी को दीगर लोगो को बेचान करने पर उतारु है जिससे कि मामला आवश्यक प्रकृति का हो जाने की वजह से प्रतिवादी सं 7 व 8 को वादपत्र में पक्षकार मुकदमा बनाने से पूर्व उन्हें 80 जा० दी० के तहत दो माह का नोटिस दिया जाना संभव नहीं होने से उन्हें रफारे उजात 80(2)जा० दी० का अलग से प्रार्थनापत्र पेश किया है। अतः वाद वादीगण बहक वादीगण विरुध प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जाकर आराजी हाल खसरा नम्बर 52/6-16 बीघा वाके ग्राम मिर्जापुर तहसील कोटकासिम के राजस्व रिकार्ड से प्रतिवादी सं 5 का नाम 18/136 भाग से व प्रतिवादी सं० 6 का नाम 51/136 भाग से हजफ किया जावे व वादीगण को बयनामा दिनांक 17.09.1980 के अनुसार 79/136 भाग का खातेदार काशतकार घोषित किया जावे व राजस्व रिकार्ड में वादीगण के नाम का अमल दरामद किया जावे। विवादित आराजी में वादीगण के 79/136 भाग का तकासमा बाई मीटस एण्ड बाउन्ड्स कुरेजात कायम किया जाकर अलग खाता कायम किया जावे। प्रतिवादीगण को जरिये हुक्मइस्तनाई दवामी से पाबन्द किया जावे कि वो विवादित आराजी को कहीं दीगर जगह रहन बय हिबा लीज इत्यादि द्वारा मुन्तकिल ना करे, ना ही वादीगण के कब्जा काशत में मजाहमत व मदाखलत पैदा करे, ना जब्रन बेदखल करे, ना कब्जा करे, मौका व राजस्व

प्रतिवादी
सूरजमान

79
प्रतिवादी

रिकार्ड की यथास्थिति कायत रखे। ना ही प्रतिवादी सं 0 8 विवादित आराजी की
सम्बत कोई भी दस्तावेजात पंजिबद्ध व तस्दीक करे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्घे
नोटिस सुनवाई का अवसर दिया गया।

प्रतिवादीगण की तामील हो जाने पर भी अदालत हाजा में उपस्थित नहीं होने से
उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

वादीगण की ओर से प्रदर्श पी 1 हाल जमाबन्दी सम्बत
2068 से 2071 , प्रदर्श पी 2 नकल बयनामा दिनांक 17.09.1980 पेश किये । साक्ष्य
वादी पीडब्ल्यू 1 सूरजभान, पीडब्ल्यू 2 जयदयाल, पीडब्ल्यू 3 शेरसिंह के शपथपत्र
पेश किये।

वादीगण के विद्वान अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी
गई।

वादीगण के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में
वादपत्र में वर्णित तथ्यों को ही दोहराया तथा वाद को बहक वादीगण डिकी किये
जाने का निवेदन किया गया।

मेरे द्वारा वादीगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर
मनन किया व पत्रावली में पेश किये दस्तावेजात का अवलोकन किया गया।
विवादित आराजी में प्रतिवादीगण 5 को 18/136 भाग व प्रतिवादी 6 को 51/136
भाग पर जरिये इन्तकाल सं 0 456 व 459 के द्वारा खातेदारी प्राप्त हुई । जो गलत
प्राप्त की गई। क्योंकि वादीगण ने विवादित आराजी का 79/136 भाग को पूर्व में
दिनांक 17.09.1980 को जरिये बयनामा क्रय कर लिया गया था। वादीगण वक्त
खरीद से क्रय शुदा आराजी 79/136 भाग पर काबिज है। वादी साक्ष्य पीडब्ल्यू 2
व 3 से भी वादीगण का कब्जा काशत साबित है। बयनामा किसी भी अदालत में
चेलेन्ज भी नहीं होना साबित हैं। इसलिये प्रतिवादी सं 5 व 6 का नाम विवादित
आराजी के राजस्व रिकार्ड से कलमजन किया जाकर खातेदारी के रकबे 69/136
भाग पर वादीगण खातेदारी पाने के अधिकारी साबित है। शेष रकबा 10/136 भाग
पर जो गैरखातेदारी का बचता है उस पर वादीगण का कब्जा साबित है। जिस पर
खातेदारी प्राप्त नहीं हुई है। वादीगण के क्रय शुदा शेष रकबा 10/136 भाग
पर विक्रेतागण को किसी प्रकार हक व हकूक नहीं रह जाते हैं कब्जा भी वादीगण
का है। इसलिये शेष रकबे 10/136 भाग की खातेदारी प्राप्त करने के लिये




कस्टोडियन भूमि के प्रावधानों के अनुसार वादीगण अलग से कार्यवाही कर खातेदारी प्राप्त करने के लिये स्वतन्त्र है।

आदेश

वादीगण का वाद इस प्रकार आंशिक डिक्री किया जाता है कि विवादित आराजी के 18/136 भाग से प्रतिवादी 5 का नाम व 51/136 भाग से प्रतिवादी 6 का नाम का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण को उक्त आराजियात के 69/136 भाग पर पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है शेष 10/136 भाग बदस्तूर गैरखातेदार रहेगा जिस पर वादीगण कस्टोडियन भूमि के विहित प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही करने के लिये स्वतन्त्र रहेंगे। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद त कमील दाखिल दफतर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 26.5.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।




जिम्मेदार अधिकारी
उप सहायक अधिकारी
कोलकाता (असल)